



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 3949/O.A.No.482/19.19

दिनांक 21-10-19

To,


The Registrar,  
The National Green Tribunal,  
Principal Bench,  
New Delhi,  
E-mail- [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) & [ngt.filling@gmail.com](mailto:ngt.filling@gmail.com)

**Sub: Compliance report in compliance to order passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi on dated 31.07.2019 in matter of O.A. No 482/2019 Nishant Dhama Versus State of Uttar Pradesh.**

Sir,

With reference to the above subject mentioned above, this is to inform you that in compliance to the order passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi on dated 31.07.2019 in matter of O.A. No 482/2019 Nishant Dhama Versus State of Uttar Pradesh, the compliance report is submitted for your kind perusal and necessary action please.

Yours Sincerely

  
Regional Officer

Copy to:

- 1- Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
- 2- Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
- 3- Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
- 4- Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

  
Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-२, सेक्टर-१६, वसुन्धरा, गाजियाबाद-२०१०१२ फोन-०१२०-४१६०१०८  
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ २२६०१०  
Website- [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com), e-mail : [roghaziabad@uppcb.com](mailto:roghaziabad@uppcb.com)

**Action Taken Report in compliance to order passed by Hon'ble NGT, New Delhi on 31.07.2019 in matter of OA No. 482/2019 Nishant Dhama Versus State of Uttar Pradesh**

Hon'ble National Green Tribunal passed the following order on 31.07.2019 in OA No. 482/2019 Nishant Dhama Versus State of Uttar Pradesh :-

*" Allegation in this letter, which has been treated as an application is that copper wire is being burnt at Kabul Nagar, Kargil Colony, BehtaHajipur and Dhama Colony, Loni, Ghaziabad.*

*Let a joint committee comprising of the Uttar Pradesh State PCB and the District Magistrate, Ghaziabad look into the matter and furnish a factual and action taken report in the matter within two months by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in).*

*The nodal agency for compliance and coordination will be the Uttar Pradesh State PCB.*



*A copy of this order, along with complaint, be sent to the Uttar Pradesh State PCB and the District Magistrate, Ghaziabad by e-mail for compliance.*

*List for further consideration on 24.10.2019"*

In compliance to the above order, Additional District Magistrate(City), Ghaziabad vide order no 1034/ST- ADM Citynominated Sud Divisional Magistrate, Loni from District Administration for the joint inspection with UPPCB. In compliance to the above, Sub Divisional Magistrate,Loni vide letter no 1632/ST-ADM-Loni Dated 17.09.2019 constituted a Committee of Tehsildar, Loni, Executive Engineer, Nagar PalikaParishadLoni, Regional Officer, UPPCB, Ghaziabad and Police for carrying out regular joint survey of the areas in question and for taking action against the illegal units.

In compliance to the above, regular survey of areas of BehtaHajipur, Sangam Vihar(East Loni), Maulana Azad (Kabul Nagar) ,Vikas Kunj and Loni Border was carried out between 17.08.2019 to 22.08.2019 by the joint committee. During the said period, 17 illegal units carrying out operations of wire drawing/ burning and 01 illegal unit carrying out operation of jeans washing and dyeing were found operating in the residential areas. All the 18 units were sealed during inspection. Further, Action under section 151/107/116 of CRPC was taken against 12 persons found responsible for carrying out the illegal operations in the residential areas. Detailed report including details of units and responsible persons has been sent by Sub Divisional Magistrate, Loni vide letter no 2137/ST-ADM-2019 dated 16.09.2019

to Additional District Magistrate(City), Ghaziabad which is annexed with this report as annexure 1. Photographs taken during the survey are as below :-



Further, regular surveys are still being carried out by the joint committee of the areas in question. Besides this, Uttar Pradesh Pollution Control Board is in process of

initiating prosecutions against identified individuals/firms as per annexed report under relevant sections of the Act.

The report in the aforesaid matter is put up for your perusal and necessary action please.

  
(Subhash Chandra)  
Scientific Assistant  
Regional Office, UPPCB  
Ghaziabad

  
(Ankit Singh)  
Assistant Environmental Engineer  
Regional Office, UPPCB  
Ghaziabad

Regional Officer  


# कार्यालय उपजिलाधिकारी लोनी जनपद गाजियाबाद।

पत्रांक : 2137 / एस0टी0-एस0डी0एम0-2019,

दिनांक : 16 सितम्बर, 2019.

अपर जिलाधिकारी (नगर)  
गाजियाबाद।

**विषय:-** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 482/2019 निशान्त धामा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मे पारित आदेश दिनांक 31 जुलाई, 2019 के अनुपालन मे प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक कृपया ई-मेल के माध्यम से प्राप्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण का आदेश पर जिलाधिकारी महोदय, के पृष्ठांकन आदेश 111/एस0टी0-डी0एम0 दिनांक 05.08.2019 एवं अपने पृष्ठांकन आदेश 1034/एस0टी0-ए0डी0एम0 सिटी दिनांक रहित का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 482/2019 निशान्त धामा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मे पारित आदेश दिनांक 31 जुलाई, 2019 के द्वारा काबुल नगर, कारगिल कॉलोनी, बेहटा हाजीपुर एवं धामा कॉलोनी लोनी मे अवैध रूप से तार जलाये जाते है, के विरुद्ध कार्यवाही कर अवगत कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

उक्त के अनुपालन मे सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यालय पत्रांक 1632/एस0टी0-एस0डी0एम0-लोनी/दिनांक 17.09.2019 के द्वारा 1- तहसीलदार लोनी, 2- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद लोनी, 3- क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, गाजियाबाद, 5- प्रभारी निरीक्षक, थाना लोनी बॉर्डर लोनी की टीम गठित कर संयुक्त रूप से निरन्तर अभियान चलाये जाने हेतु निर्देश दिये गये। जिसमे संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 17.08.2019 से लोनी क्षेत्र के बेहटा हाजीपुर, संगम विहार पूर्वी लोनी, मौलाना आजाद (काबुल नगर) विकास कुंज, लोनी बॉर्डर लोनी मे निरन्तर कार्यवाही की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-


दिनांक 17.08.2019 से 22.08.2019 तक अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता मे बेहटा हाजीपुर मे तार छिलने व जलाने वालो के विरुद्ध कार्यवाही की गयी:-

क्रम संख्या	दिनांक	अवैध कारोबारी का नाम व पता	कार्यवाही का विवरण
1	17.08.2019	कल्लू उर्फ दिलशाद निवासी मौलाना आजाद कॉलोनी गढडे वाली मस्जिद लोनी गाजियाबाद।	अवैध कार्य को बन्द करते हुए सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 151/107/116 की कार्यवाही की गयी।
2	17.08.2019	तैय्यब पुत्र छुट्टन निवासी बहटा हाजीपुर पुलिया के पीछे लोनी।	अवैध कार्य को बन्द करते हुए सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 151/107/116 की कार्यवाही की गयी।
3	17.08.2019	पप्पू उर्फ आबिद निवासी बेहटा हाजीपुर लोनी।	अवैध कार्य को बन्द करते हुए सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 को धारा 151/107/116 की कार्यवाही की गयी।
4	17.08.2019	समीम पुत्र जरीफ निवासी बेहटा हाजीपुर लोनी।	अवैध कार्य को बन्द करते हुए सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 151/107/116 की कार्यवाही की गयी।
5	17.08.2019	रामसेवक पुत्र खेतराम निवासी बेहटा हाजीपुर लोनी बॉर्डर।	अवैध कार्य को बन्द करते हुए सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 151/107/116 की कार्यवाही की गयी।

6	19.08.2019	बिंदा खॉ पुत्र वशीम खॉ निवासी बेहटा हाजीपुर (नहर)	मौके पर अवैध इकाई को सील किया गया।
7	22.08.2019	हारून पुत्र जफरुद्दीन निवासी बेहटा हाजपुर	अवैध गोदाम को सील किया गया तथा सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 151/107/116 की कार्यवाही की गयी।
8	22.08.2019	रियासत पुत्र मौ0 सद्दीक निवासी पूर्वी संगम विहार लोनी।	अवैध गोदाम को सील किया गया तथा सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 151/107/116 की कार्यवाही की गयी।
9	22.08.2019	लद्दन पुत्र अली हुसैन निवासी बेहटा हाजीपुर लोनी।	अवैध गोदाम को सील किया गया तथा सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 151/107/116 की कार्यवाही की गयी।
10	22.08.2019	जयभगवान पुत्र हुकम सिंह निवासी बेहटा हाजपुर लोनी।	अवैध गोदाम को सील किया गया तथा सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 151/107/116 की कार्यवाही की गयी।
11	22.08.2019	देवेन्द्र पुत्र रामचन्द्र शर्मा निवासी विकास कुंज लोनी।	अवैध गोदाम को सील किया गया तथा सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 151/107/116 की कार्यवाही की गयी।
12	22.08.2019	शहनवाज पुत्र हबीब निवासी बेहटा हाजीपुर लोनी।	अवैध गोदाम को सील किया गया तथा सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 151/107/116 की कार्यवाही की गयी।
13	22.08.2019	सादिक पुत्र इरफान निवासी बेहटा हाजीपुर लोनी।	अवैध गोदाम को सील किया गया तथा सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 151/107/116 की कार्यवाही की गयी।
14	22.08.2019	अज्ञात	अवैध गोदाम को सील किया गया।
15	22.08.2019	मुजाहिद पुत्र अहमद निवासी बेहटा हाजीपुर।	अवैध गोदाम को सील किया गया।
16	22.08.2019	फकरुद्दीन निवासी बेहटा हाजीपुर	अवैध गोदाम को सील किया गया।
17	22.08.2019	बीरपाल निवासी बेहटा हाजीपुर	अवैध गोदाम को सील किया गया।
18	22.08.2019	शहजाद पुत्र बेहटा हाजीपुर	अवैध जीन्स रंगाई के कार्य को बन्द करते हुए सील किया गया।

उपरोक्त कार्यवाही निरन्तर जारी है। पूर्व में की गयी कार्यवाही की छायाप्रति एवं मौके के फोटोग्राफ संलग्न कर आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

(संलग्नक उपरोक्तानुसार)

  
(प्रशान्त तिवारी)  
उपजिलाधिकारी,  
लोनी।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय, को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

उप-जिलाधिकारी  
लोनी।

नेशनल हरित अधिकरण नई दिल्ली में ओ०ए० संख्या- 482/2019 निशान्त धामा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि की सुनवाई दिनांक 31-07-2019 के क्रम में आज दिनांक 22-08-2019 में निकाय क्षेत्र के ग्राम बेहटा हाजीपुर लोनी, पूर्वी संगम विहार (नहर पर) में अवैध रूप से संचालित तार छिनने व जलाने के कारोबार के विरुद्ध उपजिलाधिकारी महोदय लोनी की अध्यक्षता में नगर पालिका परिषद लोनी के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की गयी जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	अवैध कारोबारी का नाम व पता	टिप्पणी
1	हारून पुत्र श्री जफरुददीन निवासी- बेहटा हाजीपुर।	अवैध कार्य को बन्द कराते हुये गोदाम को सील किया गया तथा उपजिलाधिकारी महोदय लोनी द्वारा धारा 151/107/116 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।
2	रियासत पुत्र मौ० सददीक निवासी- संगम विहार पूर्व लोनी बोर्डर।	अवैध कार्य को बन्द कराते हुये गोदाम को सील किया गया तथा उपजिलाधिकारी महोदय लोनी द्वारा धारा 151/107/116 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।
3	लददन पुत्र श्री अलीहुसैन निवासी- बेहटा हाजीपुर	अवैध कार्य को बन्द कराते हुये गोदाम को सील किया गया तथा उपजिलाधिकारी महोदय लोनी द्वारा धारा 151/107/116 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।
4	जय भगवान पुत्र स्व० श्री हुकम सिंह निवासी-बेहटा हाजीपुर।	अवैध कार्य को बन्द कराते हुये गोदाम को सील किया गया तथा उपजिलाधिकारी महोदय लोनी द्वारा धारा 151/107/116 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।
5	देवेन्द्र शर्मा पुत्र श्री रामचन्द शर्मा निवासी- विकास कुंज लोनी।	अवैध कार्य को बन्द कराते हुये गोदाम को सील किया गया तथा उपजिलाधिकारी महोदय लोनी द्वारा धारा 151/107/116 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।
6	शहनवाज पुत्र श्री हबीब निवासी- बेहटा हाजीपुर लोनी।	अवैध कार्य को बन्द कराते हुये गोदाम को सील किया गया तथा उपजिलाधिकारी महोदय लोनी द्वारा धारा 151/107/116 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।
7	शादिक पुत्र श्री ईरफान निवासी- बेहटा हाजीपुर लोनी।	अवैध कार्य को बन्द कराते हुये गोदाम को सील किया गया तथा उपजिलाधिकारी महोदय लोनी द्वारा धारा 151/107/116 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।
8	अज्ञात	मौके पर अवैध कार्य के गोदाम को सील किया गया।
9	मुजाहिद पुत्र श्री अहमद	मौके पर अवैध कार्य के गोदाम को सील किया गया।
10	फकरुद्दीन निवासी- बेहटा हाजीपुर लोनी।	मौके पर अवैध कार्य के गोदाम को सील किया गया।
11	वीरपाल पुत्र नामालुम निवासी- बेहटा हाजीपुर लोनी।	मौके पर अवैध कार्य के गोदाम को सील किया गया।
12	शहजाद पुत्र नामालुम	जीन्स की रंगाई के कार्य को बन्द कराते हुये सील किया गया।

आख्या महोदया की सेवा में सादर प्रेषित।

*22-8-19*  
वैज्ञानिक सहायक  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
गाजियाबाद

*22-8-19*  
अधिशारी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद, लोनी  
गाजियाबाद

*22-8-19*  
तहसीलदार  
लोनी

*22/8/19*

रिपोर्ट चालानी अन्तर्गत धारा 151/107/116 दं प्र० सं०

न्यायालय श्रीमान उपनिष्ठा दिवानी नदी ५५ नो-१ गाजियाबाद  
राज्य सरकार द्वारा S.I. गाजियाबाद के लोनी बार्डर गाजियाबाद

बनाम :-

- A1. दामन बी. बी. जगन्नाथन R/O वेदराहालीपुर 33-37
- A2. आसिद बी. नो. सुदीप R/O सं. गाजियाबाद नदी नो. 181 56
- A3. अमर बी. अली हसन R/O वेदराहालीपुर के लोनी बार्डर 52

श्रीमान जी

निवेदन यह है कि पार्टी I के दामन कारि उपरोक्त रोडीस्ट व नदी  
यथावे वायु प्रदूषण का रहे है जिससे आसपास के लोगों को  
आ. नो. उपरोक्त व पार्टी II दामन कारि उपरोक्त आदि में भी  
नदी के अंतर्गत दामन उपरोक्त के जिन S.I. गाजियाबाद  
पलन नदी मान दामन कारि उपरोक्त का नदी के अंतर्गत के कारण  
तनीव व्याप्त है तथा किसी भी समय आपस में लडकर वारदात कर सकते है। जिससे  
मिपा गया 2000 रुपये दिलाए जायेंगे।  
अतः निवेदन है कि उपरोक्त धारा 107,116 दं प्र० सं० के तहत भारी जमानत व  
मुचलके से भान्ति कायम रखने हेतु पाबन्द करने की कृपा करें।

नाम पता गवाहान -

- 1. H.C. पवित्र सिंह
- 2. आ. राधीव जग
- 3. गाजियाबाद
- 4. आ. सर्वेश (H.C.) जग

हस्ताक्षर व पद  
थाना लोनी बार्डर  
जनपद गाजियाबाद  
22/10/14

रिपोर्ट चालानी अन्तर्गत धारा 151/107/116 दं प्र 0 सं 0

न्यायालय श्रीमान उपजिला दिकाना महेसुप मोरी गाजियाबाद  
राज्य सरकार द्वारा 30 दि 2010

बनाम :-

- A1 उपजिला दिकाना महेसुप मोरी गाजियाबाद
- A2 देवेन्द्र राम के सामान्य रिजर्विजिल डिप मोरी गाजियाबाद
- A3 शंकर लाल के हकीम रिजर्विजिल डिप मोरी गाजियाबाद
- A4 शंकर के रिजर्विजिल डिप मोरी गाजियाबाद

श्रीमान जी

निवेदन यह है कि पार्टी I के उपजिला दिकाना महेसुप मोरी गाजियाबाद द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन न करके पार्टी II के द्वारा कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है। उपजिला दिकाना महेसुप मोरी गाजियाबाद कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके पार्टी II के द्वारा कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है। तनाव व्याप्त है तथा किसी भी समय आपस में लड़कर कार्रवाई कर सकते हैं। धारा 107, 116 के अन्तर्गत धारा 107, 116 दं प्र 0 सं 0 के तहत जारी जमानत मुचलके से भ्रान्ति कायम रखने हेतु पाबन्द करने की कृपा करें।

नाम पता गवाहान -

- 1. Hc पतिशे
- 2. कां. राजीव कुमार
- 3. कां. सुरेश (S.D.M) गान्धी
- 4. कां. सुरेश (S.D.M) गान्धी

22/01/10  
हस्ताक्षर व पद  
थांबा लोनी बार्डर  
जनपद गाजियाबाद

नेशनल हरित अधिकरण नई दिल्ली में ओ० ए० संख्या- 482/2019 निशान्त धामा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि की सुनवाई दिनांक 31-07-2019 के क्रम में आज दिनांक 19-08-2019 में निकाय क्षेत्र के बेहटा हाजीपुर लोनी में अवैध रूप से संचालित तार छिने व जलाने के कारोबार क विरुद्ध उपजिलाधिकारी महोदय लोनी की अध्यक्षता में प्रदुषण विभाग व नगर पालिका परिषद लोनी के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की गयी जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्रम	अवैध कारोबारी का नाम व पता	टिप्पणी
1	श्री बिन्दा खों पुत्र श्री वसीम खों निवासी - ग्राम बेहटा हाजीपुर (नहर पर) दरगाह वाली मस्जिद लोनी	उद्योग को मौके पर सील किया गया ।

आख्या महोदया की सेवा में सादर प्रेषित ।

*19-8-19*

वैज्ञानिक सहायक  
उ०प्र० प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड  
गाजियाबाद

*19-8-19*

अधिशारी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद लोनी  
गाजियाबाद

*19-8-19*  
तहसीलदार  
लोनी

नेशनल हरित अधिकरण नई दिल्ली में ओ० ए० संख्या- 482/2019 निशान्त धामा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि की सुनवाई दिनांक B1-07-2019 के क्रम में आज दिनांक 17-08-2019 में निकाय क्षेत्र के बेहटा हाजीपुर लोनी में अवैध रूप से संचालित तार छिनने व जलाने के कारोबार क विरुद्ध उपजिलाधिकारी महोदय लोनी की अध्यक्षता में नगर पालिका परिषद लोनी के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की गयी जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्रम०स०	अवैध कारोबारी का नाम व पता	टिप्पणी
1	श्री कल्लू उर्फ दिलशाद निवासी- मौलाना आजाद कालोनी खड्डे वाली मस्जिद बहटा हाजीपुर लोनी जनपद- गाजियाबाद।	अवैध कार्य को बन्द कराते हुये सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध उप जिलाधिकारी लोनी द्वारा धारा 151/107/116 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।
2	श्री तय्यबशाह पुत्र छुट्टन निवासी- बहटा हाजीपुर पुलिया के पीछे लोनी बोर्डर लोनी।	अवैध कार्य को बन्द कराते हुये सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध उप जिलाधिकारी लोनी द्वारा धारा 151/107/116 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।
3	श्री पप्पू उर्फ आबिद पुत्र साजिद अली निवासी- बहटा हाजीपुर (धामा के प्लाट बहटा पुलिया) लोनी।	अवैध कार्य को बन्द कराते हुये सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध उप जिलाधिकारी लोनी द्वारा धारा 151/107/116 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।
4	श्री समीम पुत्र जरीफ निवासी- बहटा हाजीपुर लोनी बोर्डर (नहर), लोनी।	अवैध कार्य को बन्द कराते हुये सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध उप जिलाधिकारी लोनी द्वारा धारा 151/107/116 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।
5	श्री रामसेवक पुत्र खेतराम निवासी- बहटा हाजीपुर लोनी बोर्डर लोनी।	अवैध कार्य को बन्द कराते हुये सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध उप जिलाधिकारी लोनी द्वारा धारा 151/107/116 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

आख्या महोदया की सेवा में सादर प्रेषित ।



अधिसासी-  
नगर पालिका परिषद लोनी  
गाजियाबाद

तहसीलदार  
लोनी


दिनांक 17-08-2019 मे अवेच इकाई के विरुद्ध मो० अश्रफाद इकलेव, बेहराहाजिपुर लोनी (७७)  
मे की गयी कार्यवाही



तहसीलदार  
लोनी




दिनांक 19.08.2019 को अवैध इकाई बंटेरा हाजीपुरा (नहर) लोनी जे की जमीन कायदा



A  
तहसील  
लोनी

दिनांक 19.08.2019 को अर्ध इकाई बेहटा हजोपुरा (नहर) लोनी अे की  
गयी कार्यवली -




दिनांक 22-08-2019 को अवैध इकाई, बेहरा हाजीपुर, पूर्वी संगमविहार, विकासकुञ्ज  
लोनी में की गयी कार्यवाही -



A  
तहसील  
लोनी




X





4  
तहसील  
लोनी

2



A

①



राष्ट्रीय  
सर्वोदय  
संस्थान